

सुनहरा मौका


भव्य नीलामी

नीलामी में भाग लें

# नगर परिषद, सीकर

फोन नं. 01572-270422, फैक्स- 01572-270635, e-mail- sikarulb.jaipur@gmail.com

## स्थल मानचित्र



माधव विहार योजना में  
व्यावसायिक भूखण्डों की  
भव्य नीलामी

## नीलामी स्थल

माधव विहार राणी सती रोड, सीकर

### निर्धारित सेट-बैक

| भूखण्ड संख्या | आगे    | पीछे  | साईड     | साईड     |
|---------------|--------|-------|----------|----------|
| 03            | 12 मी. | 6 मी. | 6 मी.    | 6 मी.    |
| 04            | 9 मी.  | 9 मी. | 4.50 मी. | 4.50 मी. |

### भूखण्डों का विवरण

| भूखण्ड संख्या | क्षेत्रफल        | एफ.ए.आर                    | अधिकतम ऊँचाई(मी.) | अधिकतम आच्छादित क्षेत्र  | न्यूनतम विक्रय मूल्य रु.   | अमानता राशी रु (लाखों में) | नीलामी दिनांक व समय           |
|---------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 03            | 1913.88 वर्गमीटर | मानक - 1.33<br>अधिकतम-2.25 | 30 मीटर           | सेट बैक क्षेत्र के अन्दर | 23322/-<br>प्रति वर्ग मीटर | 22.32                      | 06.05.2015<br>प्रातः 11:00 से |
| 04            | 1495.39 वर्गमीटर | मानक - 1.33<br>अधिकतम-2.25 | 27 मीटर           | सेट बैक क्षेत्र के अन्दर | 23322/-<br>प्रति वर्ग मीटर | 17.44                      | 06.05.2015<br>प्रातः 11:00 से |

### नीलामी की शर्तें :-

- नीलामी से पूर्व मौके पर बोलीदाता को अमानता राशी डिमाण्ड/पे-आर्डर, आयुक्त नगर परिषद, सीकर के नाम जमा करवानी होगी यह राशी बोली समाप्त होने पर उच्चतम बोलीदाता को छोड़कर अन्य को मौके पर ही लौटा दी जावेगी।
- उच्चतम बोलीदाता को 25 प्रतिशत राशि (अमानता राशी को शामिल करते हुये) मौके पर ही चैक द्वारा जमा करानी होगी अन्यथा मौके पर जमा नहीं कराने पर अमानता राशी जब्त करली जावेगी। उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकार होने की दशा में स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से 30 दिवस में अवशेष तीन चौथाई राशि जमा करानी होगी।
- बोली स्वीकार/अस्वीकार/स्थगित/समाप्त करने का अधिकार नगर परिषद् सीकर को होगा जिसके लिए कोई कानुनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।
- भूखण्ड जहां है, जैसा है, के आधार पर नीलामी होगी व भूखण्ड के नाप चौक में अधिकता/कमी होने पर मौके के क्षेत्रफल के अनुसार राशी जमा करानी होगी।
- भूखण्ड पर निर्माण नियमानुसार नगर परिषद् सीकर से नक्शा स्वीकृत कराके एवं इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने के पश्चात किया जावेगा।
- उक्त नियत तिथि पर की जाने वाली नीलामी पर कोई राजकीय अवकाश हुआ तो उक्त आम नीलामी अगले कार्य दिवस में निर्धारित समय पर मौके पर की जावेगी।
- भूखण्ड राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत 99 वर्षीय लीज पर विक्रय होंगे। लीज राशि प्रथम तीन वर्ष 2.50 प्रतिशत व तीन वर्ष पश्चात् 5 प्रतिशत की दर से आरक्षित दर पर देय होगी। दस वर्ष की एक मुश्त अग्रिम लीज मनी जमा करवाने पर भावी लीज से मुक्ति दे दी जावेगी।
- नगर परिषद्, सीकर भवन विनियम 2010 के समस्त प्रावधान लागू रहेंगे।
- बोली रु 50.00 प्रति वर्गमीटर के गुणांक में स्वीकार होगी।
- विक्रय किये जाने वाले भूखण्डों की पूर्ण जानकारी, मानचित्र व अन्य जानकारी नगर परिषद् सीकर में कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को सम्बंधित शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

(मदन कुमार शर्मा)  
आयुक्त  
नगर परिषद, सीकर

(जीवण खों)  
सभापति  
नगर परिषद, सीकर